सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या **245** राँची**,** सोमवार

8 चैत्र, 1938 (श०)

28 मार्च, 2016 (ई०)

योजना-सह-वित्त विभाग

(वित्त प्रभाग)

संकल्प

15 मार्च, 2016

विषयः **W.P.(S) No.-194/2010 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 08.02.1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 5000-8000/- के स्थान पर 5500-9000/- का वेतनमान स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

संख्या-11/02 (वे.पु.)-06/2015-790--यह मामला माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में दायर वाद संख्या 194/2010 में न्यायालय द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2015 को पारित न्यायादेश के क्रम में विचारणीय है।

2. इस मामले का सार-संक्षेप यह है कि दिनांक 14 सितम्बर, 2007 को कैडर विभाजन के पश्चात झारखण्ड राज्य में पदस्थापित (Motor Transport Jamadar) के पद पर कार्यरत कर्मियों को वेतनमान 5500-9000/- का लाभ नहीं प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची में W.P.(S) No. 1369/2009 दायर किया गया, जिसमें पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा reasoned/speaking order memo no. 3294/वि॰ दिनांक 06 नवम्बर, 2008 में निम्न निर्णय पारित किया गया:-

''राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति वेतन एवं भत्ते स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। केन्द्र सरकार द्वारा षष्ट्म वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर दिनांक

1 जनवारी, 2006 से केन्द्रीय कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान् स्वीकृत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा भी राज्यकर्मियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भाँति दिनांक 1 जनवरी, 2006 से वैचारिक रूप से तथा दिनांक 1 अप्रैल, 2007 से वास्तविक रूप से केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत करने के लिए अनुशंसा करने हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2687/वि॰, दिनांक 15 सितम्बर, 2008 द्वारा श्री एस॰के॰एफ॰ कुजूर, सेवानिवृत्त महालेखाकार, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में फिटमेंट कमिटी का गठन किया जा चुका है। वर्त्तमान परिस्थिति में परिवहन जमादार को दिनांक 1 जनवारी, 1996 से स्वीकृत वेतनमान में किसी प्रकार का उत्क्रमण का औचित्य नहीं है। मो॰ आफताब आलम, परिवहन जमादार अपने वेतन विसंगति के मामले को वर्तमान फिटमेंट कमिटी के समक्ष रख सकते है।''

3. वित्त विभाग द्वारा पारित उक्त reasoned/speaking order memo no. 3294/वि॰ दिनांक 6 नवम्बर, 2008 को रद्द करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा W.P.(S) No. 194/2010 जितेन्द्र कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में यह आदेश पारित किया गया है कि, CWJC No. 4001/2002 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथा अन्य बिन्दुओं को दृष्टिपथ रखते हुए संदर्भित मामले में पुनः reasoned/speaking order पारित किया जाय।

4. माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित मामले में पारित उपर्युक्त न्यायदेश का operative अंश निम्नवत् है:-

"This writ petition is allowed by quashing the order as contained in Memo No. 6/S.I.(Court Case)-07/2007-3294 dated 6.11.2008, issued by the respondent no. 3 and upon such setting aside, the matter is remitted back to respondent no. 3 to take a fresh decision upon the claim of the petitioners after taking into consideration the entire aspects of the matter, as enumerated above, including order of the Patna High Court, passed in CWJC No. 4001of 2002 and on consideration pass a reasoned and speaking order within a period of eight weeks from the date of receipt/production of a copy of this order."

5. विभिन्न वेतन आयोग द्वारा Motor Transport Jamadar तथा Sub-Inspector Jamadar/ Seargant/ Reserve Sub-Inspector/Reserve Sub-Inspector Armory के पद हेतु स्वीकृत वेतनमान की विवरणी निम्नवत् है:-

पदनाम	तीसरा वेतन आयोग	चतुर्थ वेतन आयोग	पाँचवा वेतन आयोग
Motor Transport Jamadar	850-1360/-	1500-2750/-	5000-8000/-
Sub-Inspector Jamadar/Sergeant/ Reserve Sub-Inspector/ Reserve Sub-Inspector Armory	850-1360/-	1600-2780/-	5500-9000/-

6. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा C.W.J.C No.- 4001 of 2002 में दिनांक 25 मई, 2006 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 08 फरवरी, 1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 5000-8000/- को संशोधित करते हुए 5500-9000/- रुपये का वेतनमान दिनांक 1 जनवारी, 1996 के प्रभाव से वित्त विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र ज्ञापांक 5636, दिनांक 28 अगस्त, 2006 द्वारा स्वीकृत कर दिया गया।

7. चूँकि संकल्प संख्या 660, दिनांक 08 फरवरी, 1999 अविभाजित बिहार द्वारा निर्गत किया गया था एवं बिहार सरकार द्वारा उक्त संकल्प में प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के पद हेतु वेतनमान संशोधित कर दिया गया है अतः उक्त वर्णित तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर कैडर विभाजन के पश्चात, प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 08 फरवरी, 1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 5000-8000/- को संशोधित करते हुए 5500-9000/- का वेतनमान सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 1 जनवारी, 1996 के प्रभाव से एवं वास्तविक लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2000 के प्रभाव से अनुमान्य/स्वीकृत किया जाना न्यायसंगत एवं नियमानुकूल होगा।

8. W.P.(s) No. 194/2010 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03 अगस्त, 2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ योजना-सह-वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) द्वारा reasoned/speaking order (तार्किक आदेश) ज्ञापांक 107/विधि०को० दिनांक 3 नवम्बर, 2015 पारित किया गया, जिसमें प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी, 1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 5000-8000/- के स्थान पर 5500-9000/- का वेतनमान सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 1 जनवारी, 1996 के प्रभाव से एवं वास्तविक लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2000 से अनुमान्य/स्वीकृत किये जाने हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया है।

9. अतः सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि W.P.(s) No. 194/2010 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 3 अगस्त, 2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ प्रारक्ष अवर निरीक्षक परिवहन (Motor Transport Jamadar) के पद हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660, दिनांक 8 फरवरी, 1999 द्वारा स्वीकृत वेतनमान 5000-8000/- के स्थान पर 5500-9000/- का वेतनमान सैद्धान्तिक रूप से दिनांक 1 जनवारी, 1996 के प्रभाव से एवं वास्तविक लाभ दिनांक 15 नवम्बर, 2000 से अनुमान्य/स्वीकृत किया जाय।

10. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।

11. सेवारत कर्मियों के बकाया राशि का भुगतान, दो वित्तीय वर्ष में 50-50 प्रतिशत के अनुपात में किया जायेगा।

12. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 409/वि० दिनांक 11 फरवरी, 2016 के क्रम में दिनांक 23 फरवरी, 2016 की बैठक के मद सं० 03 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमित खरे,

सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 245—50 ।